न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बाड़मेर
पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः—68 / 2023

प्रार्थी :—

अजातशत्रुसिंह पुत्र खीमसिंह जाति राजपूत निवासी राखी तहसील समदड़ी

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. तहसीलदार समदड़ी
2. इब्राइमखां पुत्र हुसेनखां
3. सलीमखां पुत्र हुसेनखां
   जाति मोयला निवासी राखी तहसील समदड़ी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः— 1. श्री कैलासपुरी वकील प्रार्थी
2. श्री इमरान खां वकील विप्रार्थी संख्या 2 व 3

—:: आदेश ::— दिनांक :—28.08.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1691 / 165 रकबा 0.8984 हैक्टेयर ग्राम राखी तहसील समदड़ी में अवस्थित है। उक्त खसरा मूल खसरा संख्या 165 रकबा 2.5576 हैक्टेयर से सृजित हुआ है, जिसमें से 0.8984 हैक्टेयर प्रार्थी की, 1.2950 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की तथा शेष 0.3642 हैक्टेयर गे.मु. सड़क की है। प्रार्थी के कब्जाकाश्त की 0.8984 हैक्टेयर भूमि में से 0.6799 हैक्टेयर सड़क के दक्षिण में एवं 0.2185 हैक्टेयर सड़क के उत्तर में है, किन्तु लट्ठा नक्शा में उत्तर वाली 0.2185 हैक्टेयर भूमी की तरमीम विप्रार्थी संख्या 2 व 3 की भूमि 1.2950 हैक्टेयर में शामिल करके कर दी गई, जिससे राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा स्थिति में भिन्नता आ गई। अतः प्रार्थी ने सड़क से उत्तर दिशा में अवस्थित अपने कब्जा काश्त की 0.2185 हैक्टेयर भूमि की तरमीम पृथक करवाने तथा राजस्व रिकार्ड में पृथक खसरा कायम करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

आवेदन पंजीयन कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण को तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार समदड़ी से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट तलब की गई। विप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की सड़क के उत्तर की भूमि उनके कब्जाकाश्त की एवं दक्षिण की भूमि प्रार्थी के कब्जाकाश्त की होने से तथा इस आधार पर की गई तरमीम मौका स्थिति के अनुरूप होने से प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी।

वकील प्रार्थी की बहस है कि ग्राम राखी के मूल ख.सं. 165 में से 0.8984 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की एवं 1.2950 [illegible] भूमि विप्रार्थी सं. 2 व 3 की खातेदारी की है। राजस्व रिकॉर्ड में [illegible] धारित [illegible] रकबा इसी अनुसार है, किंतु लट्ठा [illegible] में प्रार्थी का रकबा 0.6799 हैक्टेयर एवं विप्रार्थी सं. 2 व 3 का रकबा 1.5135 हैक्टेयर हो रहा [illegible] प्रकार उक्त मूल खसरे में चल रही सड़क [illegible] उत्तर में दर्शायी गई विप्रा[illegible] 2 व 3 के तरमीमशुदा स्थान में से ख.सं. 1615 / 167 से लगती 0.2185 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के हक में लट्ठा नक्शा में दर्ज किये जाने से दोनों पक्षों का राजस्व रिकॉर्ड में धारित कुल रकबा पूर्ण हो रहा है। अतः प्रार्थी धारित रकबानुसार विप्रार्थी सं. 2 व 3 के तरमीमशुदा स्थान की 0.2185 भूमि पृथक तरमीम के जरिये अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

इसके विपरीत वकील विप्रार्थी सं. 2 व 3 की बहस है कि लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम के अनुसार दोनों पक्षों का कई वर्षों से कब्जाकाश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर विप्रार्थी सं. 2 व 3 के कच्चे पक्के निर्माण हैं, जिन पर वे निवास कर रहे हैं। लट्ठानक्शा में तरमीम वास्तविक कब्जानुसार एवं 50 वर्ष पुरानी होने से सही है। प्रार्थी ने विप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि हड़पने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदड़ी द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। दोनों पक्ष इस तथ्य पर सहमत हैं कि मूल ख. सं. 165 की 0.8964 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के एवं 1.2950 हैक्टेयर भूमि विप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक की है, किंतु लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम धारित रकबानुसार नहीं होने से दोनों पक्षों के रकबे में कमीपेशी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार मूल खसरे के सड़क से उत्तर के तरमीमशुदा भू–भाग में से ख.सं. 1615/167 से लगती एवं संलग्न नक्शे में बरंग पीला से दर्शित 0.2185 हैक्टेयर भूमि का पृथक खसरा सृजित कर प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने से दोनों पक्षों के धारित रकबे में एकरूपता आ जाएगी और इससे किसी भी पक्ष के कुल धारित रकबे में कोई कमीपेशी नहीं होगी।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम राखी तहसील समदड़ी के नक्शा लट्ठा में तरमीमशुदा भूमि ख.सं. 1501/165 में से ख.सं. 1615/167 से लगती व मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग पीला से दर्शित 0.2185 हैक्टेयर भूमि की पृथक तरमीम कर प्रार्थी के नाम से दर्ज करने एवं सड़क के दक्षिण की भूमि खसरा संख्या 1691/165 का रकबा राजस्व रिकार्ड में 0.6799 हैक्टेयर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान बरंग केसरिया से दर्शित ख.सं. 1691/165 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में 0.2185 हैक्टेयर दर्ज करते हुए दोनों खसरों का कुल रकबा 0.8984 दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार समदड़ी द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा तथा दोनों पक्षों का कुल धारित रकबा इस आदेश से अप्रभावित रहेगा।

आदेश आज दिनांक 28.08.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

नजरी नक्शा

परिशिष्ट 'ब'

मौजा - राखी

तहसील - समदड़ी (बाड़मेर)

खसरा संख्या - 165 मूल की तरमीम शुद्धि जाँच बाबत

Ex-0047+

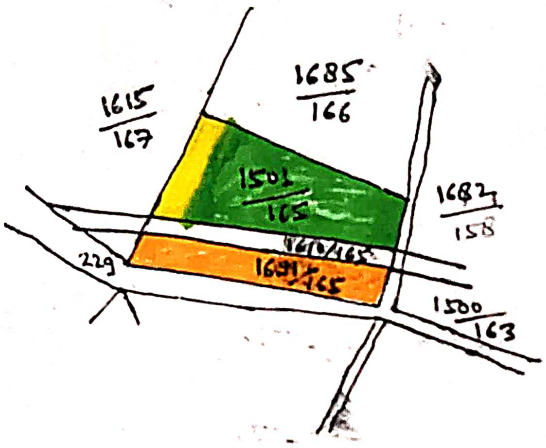

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

संकेत:-

(नारंगी) प्रार्थी की वर्तमान में तरमीम जो नक्शे में दर्ज है रकबा 0.6799 हैक्टेयर (4-04 बीघा)

(पीला) विप्रार्थीगण की वर्तमान तरमीम में से प्रार्थी का रकबा पूर्ण करने हेतु प्रस्तावित रकबा 0.2185 हैक्टेयर (1-07 बीघा)

(हरा) विप्रार्थीगण के खसरे की शेष भूमि रकबा 1.2950 हैक्टेयर (8-00 बीघा)

07/08/23
पटवारी

07/08/2023
ILR राखी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.09.08 15:27:23 IST
Reason: SelfAttested